



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2011/ज्येष्ठ 3, 1933

No. 264]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2011/JYAISTHA 3, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2011

सा.का.नि. 397(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53छ की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (डग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 के नियम 5 के उप-नियम (1) में,—

(i) “(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन” कोष्ठकों, अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) परंतुक में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[ फा. सं. 5/36/2007-आईजीसी/सीएस ]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 137(अ), तारीख 27-2-2009 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 339(अ), तारीख 15-5-2009 और सा.का.नि. 827(अ), तारीख 16-11-2009 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2011

G.S.R. 397(E).—In exercise of the powers conferred by clause (mc) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (1) of Section 53G of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following

rules, further to amend the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members) Rules, 2009, namely :—

(1) These rules may be called the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members) Rules, 2009, in rule 5, in sub-rule (1),—

(i) the brackets, figures and words “(1) Subject to the provisions of sub-rule (2)”, shall be omitted;

(ii) in the proviso, for the words “to received”, the words “to receive” shall be substituted.

[F.No. 5/36/2007-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

**Note :—**The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 137(E) dated 27-2-2009 and subsequently amended *vide* G.S.R. 339(E) dated 15-5-2009 and G.S.R. 827(E) dated 16-11-2009.